

नेशनल लोक अदालत दिनांक : 09/09/2017।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी गजेन्द्र उर्फ गज्जू न्यायिक अभिरक्षा
उपजेल गोहद से पेश, द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।

फरियादी/आवेदक सतेन्द्र गुर्जर पुत्र कलियान
गुर्जर सहित श्री ब्रजराज सिंह गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आज लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु
नियत है।

फरियादी/आवेदक सतेन्द्र गुर्जर पुत्र कलियान
गर्जर, निवासी :- त्यागी नगर वार्ड क्रमांक 27 मुरार
ग्वालियर, जिला-ग्वालियर ने उसके अधिवक्ता श्री
ब्रजराज गुर्जर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्त गजेन्द्र
उर्फ गज्जू पर लगे धारा 379 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय
अभियोग के शमन अनुमति संबंधी डॉकेट आवेदन पत्र
प्रस्तुत किया।

आरोपी गजेन्द्र उर्फ गज्जू के विरुद्ध मोबाइल चोरी
के संबंध में धारा 379 भा.द.सं. के अन्तर्गत अभियोग पत्र
प्रस्तुत किया गया है। फरियादी सतेन्द्र अभियोजित अपराध
की धारा 379 भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार
है। उसकी पहचान श्री ब्रजराज गुर्जर अधिवक्ता द्वारा की
है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उनके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से लोक अदालत में राजीनामा डॉकेट प्रस्तुत किया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत राजीनामा डॉकेट स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित की धारा 379 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जेल वारंट पर यह टीप अंकित की जाये कि आरोपी की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता ना तो हो उसे मुक्त किया जाये।

प्रकरण में जब्तशुदा मोबाइल एप्पल 06 मॉडल नम्बर ए-1586, जिसका आई.एम.ई.आई. नम्बर 352091079629500 एवं एफ.सी.सी. 9 डी. बी.सी.जी.-ई2816 ए पर आरोपी गजेन्द्र उर्फ गज्जू ने स्वयं का कोई दावा ना होना दर्शित करते हुए व्यक्त किया कि उसे उक्त मोबाइल दंदरौआ मंदिर पर पड़ा हुआ मिला था। फरियादी सतेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र कलियान सिंह गुर्जर द्वारा उक्त मोबाइल स्वयं का होना दर्शित करते हुए उसे प्रदान किये जाने का निवेदन किया है। फलतः उक्त जब्तशुदा मोबाइल फरियादी सतेन्द्र गुर्जर को प्रदान कर व्ययनित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

01. राजीव कांकर अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)

02. रविरमन बाजपेई अधिवक्ता (सदस्य) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
जिला भिण्ड

